कार्यालय, रक्षा लेखा नियंत्रक, नं.1, स्टाफ रोड, सिकंदराबाद - 500 009.
दूरभाष : 040-27843385 फैक्स सं. 27817275

परिपत्र

सं. प्रशा/वेतन/5032/आयकर पत्राचार दिनांक : 18.09.2014

विषय: वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए आयकर की वसूली (कर-निर्धारण वर्ष 2015-16)

*****

1. वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए लागू आयकर की दरें निम्नानुसार हैं :-

कर की दर	सामान्य सीमा/महिलाएं	वरिष्ठ नागरिक *(सीमा)
शून्य	रु. 2,50,000/- तक	रु. 3,00,000/- तक
10%	रु.2,50,001-5,00,000 तक	रु.3,00,001 - 5,00,000 तक
20%	रु. 5,00,001-10,00,000 तक	रु. 5,00,001-10,00,000 तक
30%	रु. 10,00,001 और उससे अधिक	रु. 10,00,001 और उससे अधिक

*भारतीय निवासी (व्यक्ति विशेष) जिसने साठ वर्ष या उससे अधिक की अवस्था वित्तीय वर्ष में किसी भी समय प्राप्त किया हो, के लिए आय कर की दरें।

2. **वेतन की कुछ कटौतियाँ जो आय से हटाने योग्य हैं -**

धारा 24 के अधीन - दिनांक 01.04.1999 के बाद उधार ली गई राशि से अर्जित अथवा निर्मित संपत्ति जिसका अर्जन/निर्माण-कार्य उधार लेने के वित्तीय वर्ष के अंत से तीन वर्षों की अवधि के भीतर पूरा कर लिया गया हो, उस उधार ली गई पूँजी की राशि पर अधिकतम रु.2,00,000 तक ब्याज काटा जा सकता है ।

वेतन से भुगतान की गई/जमा की गई निम्नांकित राशियों को कुल आय में से हटाने की अनुमति है बशर्ते कि इसका योग रु. 1,50,000/- हो । तथापि इस प्रकार के भुगतान/जमा की गई राशि के प्रत्येक मद के लिए कोई सीमा नहीं है जो रु. 1,50,000/- का एक भाग हों। निम्नांकित पैरा केवल उदाहरणस्वरूप हैं और विस्तार से दिशा-निर्देशों को जानने के लिए आयकर अधिनियम और उससे संबंधित परिपत्रों का अवलोकन करें ।

धारा 80 C के अधीन - (1) जीवन बीमा निगम/डाक जीवन बीमा की किस्तें (2) सा.भ.नि. का अभिदान (पेशगी की धन-वापसी के अतिरिक्त) (3) 15 वर्ष के पी.पी.एफ हेतु अभिदान (4) एन.एस.एस. VIII हेतु अंशदान (5) यूनिट बंध बीमा योजना हेतु अभिदान जैसे यू.टी.आई. की यूलिप अथवा भारतीय जीवन बीमा निगम का म्यूचुवल फंड (धनरक्षा योजना) (6) भारत में पूर्णावधि शिक्षा प्रणाली में अधिकतम सीमा दो बच्चों की शिक्षा के लिए भुगतान किया गया शिक्षा-शुल्क (7) आवासीय संपत्ति के निर्माण/खरीद के लिए सरकार/बैंक से प्राप्त कर्ज़ की धन-वापसी की राशि ।

धारा 80 CCC के अधीन - कुछ पेंशन निधियाँ जैसे भारतीय जीवन बीमा निगम की वार्षिक वेतन योजना अथवा किसी अन्य बीमा कंपनी की ऐसी योजना के लिए भुगतान की गई किस्तों की राशि जिसकी अधिकतम सीमा रु.1,00,000/- होगी ।

धारा 80 CCD के अधीन - केन्द्र सरकार की नई पेंशन योजना में किए गए अभिदान की राशि को उनकी कुल आय के अभिकलन से हटाना स्वीकार्य होगा - इस प्रकार भुगतान की गई राशि उनके वेतन के **10%** से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

धारा 80 CCE - धारा 80 C, 80 CCC तथा 80 CCD के अधीन कुल आय से हटाने की राशि की सीमा

धारा 80 C, 80 CCC तथा 80 CCD के अधीन कुल कटौती की राशि रु.1,50,000/- से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

3. डपरोक्त के अलावा, आयकर अधिनियम की निम्नांकित धाराओं के अधीन भी कटौतियाँ स्वीकार है :-

धारा 80 D के अधीन - चिकित्सा बीमा की किस्तें / सी.जी.एच.एस. का अंशदान जिसकी अधिकतम सीमा रु.15,000/- होगी और वरिष्ठ नागरिकों के लिए रु. 20,000 होगी ।

धारा 80 DD के अधीन - अशक्त आश्रित व्यक्ति के इलाज के लिए किया गया भुगतान (क) सामान्य अशक्तता के मामले में अधिकतम सीमा रु. 50,000/- (ख) गंभीर अशक्तता के मामले में अधिकतम सीमा रु.1,00,000/-.

धारा 80 E के अधीन - स्वयं/परिवारजन के लिए वर्ष के दौरान किसी वित्तीय संस्था/धर्मार्थ संस्था से प्राप्त किए गए शिक्षा ऋण को आठ वर्ष अथवा ऋण के समापन तक (जो भी पहले हो), ब्याज की राशि कटौती के लिए स्वीकार्य है ।

धारा 80 U के अधीन - अशक्त व्यक्ति के मामले में कटौतियाँ :

ऐसे व्यक्ति जिनके संबंध में चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया गया है कि इस अशक्तता के कारण वे इससे लाभकारी रोज़गार में नहीं जा सके, उन्हें उनकी आय में से **धारा 80 U के अधीन** -रु. 50,000/- तक की राशि की कटौती स्वीकार होगी । यदि अशक्तता गंभीर स्वरूप की हो तो ऐसे व्यक्तियों को उनकी आय में से रु. 1,00,000/- तक की राशि की कटौती स्वीकार होगी । इस संबंध में नियम 11A में उल्लेखित प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करना अनिवार्य है ।

धारा 80 CCG के अधीन - राजीव गाँधी इक्वीटी बचत योजना की अधीन निवेश करने के लिए कुल निवेश राशि का 50% अथवा रु. 25,000/- (जो भी कम हो) को कटौती की अनुमति होगी ।

धारा 87 A के अधीन - रु. 5,00,000/- तक की कुल आय होने वाले व्यक्तियों को रु. 2,000/- अथवा आयकर की राशि, जो भी कम हो, की कटौती की अनुमति होगी ।

4. आपके कार्यालय में सेवारत जिन अधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक आय रु. 2,50,000/- (वरिष्ठ नागरिकों के लिए रु. 3,00,000/-) से अधिक हो उन्हें संलग्न प्रपत्र में वर्ष 2014-15 के लिए अपने आयकर विवरणी को दिनांक 31.10.2014 तक प्रस्तुत करने का निदेश दें । प्रपत्र के साथ दावा की गई कटौतियों के प्रमाण (जैसे किराये की रसीद, भा.जी.नि. की किस्तों की रसीदें, पी.पी.एफ. रसीदें, शिक्षा शुल्क रसीदें आदि) सलग्न करें ताकि उनके आधार पर यह अनुभाग/कार्यालय सही रूप से आयकर का परिकलन करके उसकी वसूली कर सके ।

5. **कृपया नोट करें कि डपरोक्त तारीख तक बचत की राशि से संबंधित आवश्यक प्रमाण के साथ आयकर विवरणी की अप्राप्ति पर इस कार्यालय/अनुभाग द्वारा वेतन बिल में उपलब्ध विवरण के अनुसार आयकर की वसूली की जाएगी ।**

6. आपके कार्यालय/अनुभाग में सेवारत सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को इस परिपत्र के विषयवस्तु की जानकारी दें । जो कर्मचारी छुट्टी पर हैं उन्हें भी सूचित करें और सभी से इस परिपत्र की पावती- स्वरूप उनके हस्ताक्षर प्राप्त करें तथा अपने अभिलेख में रखें ।

हस्ता/-
(मोइना बेनज़ीर)
रक्षा लेखा उप-नियंत्रक (प्रशा)

प्रतिलिपि:

1. र.ले.नि., आई.टी.एस.डी.सी., सिकंदराबाद ।
2. प्रभारी अपर नियंत्रक, वे.ले.का. (अ.श्रे) ई.एम.ई., सिकंदराबाद ।
3. प्रभारी उप-नियंत्रक, वे.ले.का. (अ.श्रे) से.आ.कोर, सिकंदराबाद ।
4. प्रभारी अपर नियंत्रक, क्षेत्रीय लेखा कार्यालय (थलसेना), विशाखापट्टणम् ।
5. मुख्य कार्यालय के सभी अधिकारी/कर्मचारी ।
6. र.ले.नि., सिकंदराबाद के अधीन सभी अधीनस्थ कार्यालय (मानक सूची के अनुसार)

(टी. वेंकटेश्वर राव)
वरिष्ठ लेखा अधिकारी (प्रशा)